# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

क्रमांक:– राजस्व/विविध/प्रार्थनापत्र/157/2019

**पीठासीन अधिकारीः–गोपाल परिहार (आर ए एस)**

| प्रार्थीनी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| श्रीमती निर्मला सोनी पत्नि ओमप्रकाश सोनी जाति मोहश्वरी निवासी 113 पी डब्ल्यू डी कॉलोनी रितिया भैरूजी मंदिर के पास जोधपुर। | | राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर |

**: : आदेश : :** **दिनांकः— 21.01.2020**

**उपस्थिति :–**

1. प्रार्थीनी कि ओर से वकील श्री एम एस राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी सरकारी पैराकार।

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम**

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी के खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बुझावड़ पटवार क्षेत्र डोली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बोरनाड़ा तहसील लूणी व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 423 में रकबा 21 बीघा भूमि किस्म बारानी—अव्वल तथा खसरा नम्बर 421 रकबा 13 बिस्वा किस्म बारानी—अव्वल कुल खसरा दो कुल रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा आई हुई है। उक्त भूमि को प्रार्थीनी द्वारा खातेदार विमलकान्ता अग्रवाल पत्नि श्री प्रेमकिशोर अग्रवाल से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के खरीद की जिस बेचाननामा की रूह से प्रार्थीनी के नाम से उक्त खरीद की गई भूमि मुतालिक राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन संख्या 594 दिनांक 28.05.2018 दर्ज करते हुए अमल दरामद किया गया तथा जिसके तहत प्रार्थीनी के नाम से खातेदार कायम की गई, जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या नया 135 व पुराना 103 व 104 से बखूबी होती है, जमाबंदी व राजस्व ट्रेस नक्शा की नकल साथ में पेश है। प्रार्थीनी की उक्त कृषि भूमि के पास ही पड़ौस में अन्य खातेदारों की भूमि आई हुई है। प्रार्थीनी के खरीद की गयी भूमि में पड़ौस खातेदारों के साथ किसी प्रकार का सीमा विवाद न हों व किसी प्रकार की गलत फहमी न पनपे को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थीनी की ओर से तहसीलदार के समक्ष आवेदन करने पर पटवारी हल्का डोली पटवारी हल्का बोरानाड़ा, पटवारी हल्का सालावास, पटवारी हल्का झंवर मय पुलिस जाब्ता पी एस बोरानाडा की टीम गठित कर खातेदार व मौतबीरान की उपस्थिति में दिनांक 14.11.2019 को मौके पर आकर मुस्तकिल पोइन्ट व माठों से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 421, 422, 423 की सीमाज्ञान करवाया गया। इस रिपोर्ट की फोटो प्रति पेश की गई है। इस प्रकार से प्रार्थीनी के खरीद की गई भूमि व पड़ौस के खेतों बाबत् सीमाज्ञान तो करवाया जा चुका है लेकिन राजस्व ट्रेस नक्शा में इसका अंकन अभी तक नही किया गया है, न ही सीमांकन अनुसार भूमि के बीच में कोई सीमा चिन्ह या कोई पक्की माठ ही की हुई है जिस कारण से प्रार्थीनी व पड़ौसी खसरा की भूमि के खातेदारों के मध्य सीमा विवाद होने की सम्भावना बन सकती है। इन परिस्थितियों में पटवारी हल्का द्वारा जरीब चलाकर मौके पर किये गये सीमांकन अनुसार पत्थरगड़ी करवाया जाना उचित वाजिब व न्यायसंगत है। प्रार्थीनी के उपरोक्त खेतों में पत्थरगढी कराने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र का दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी का नोटिस तामिल शुद्वा प्राप्त हुआ है।

अधिवक्ता प्रार्थीनी श्री एम एस राजपुरोहित ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीनी की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 423 रकबा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

21 बीघा खसरा नम्बर 421 रकबा 13 बिस्वा है जिसके मात्र रेकर्डेड काश्तकार खातेदार प्रार्थीनी ही है। उपरोक्त खेतों में सीमांकन एवं पत्थरगढी कराने का आदेश पारित करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी की ओर से राजकीय पैराकार ने अपनी बहस में मौका रिपोर्ट दिनांक 14.11.2019 के अनुसार निर्णय पारित करने का निवेदन कियीक

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन के पश्चात हमारी विनम्र राय में प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। प्रार्थीनी का यह कथन उचित जान पड़ता है। अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 व 128 के अन्तर्गत पेश प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार लूणी को फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 14.11.2019 के अनुसार उभय पक्षकरों की उपस्थिति में विवादग्रस्त आराजी ग्राम बुझावड़ के खसरा नम्बर 423 में रकबा 21 बीघा भूमि किस्म बारानी–अव्वल तथा खसरा नम्बर 421 रकबा 13 बिस्वा किस्म बारानी–अव्वल कुल खसरा दो कुल रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा पत्थरगढी करने का आदेश दिये जाते है।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी, जिला, जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

यह आदेश आज दिनांक 21.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी, जिला, जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner